

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2598
मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तरार्थ

मत्स्य सहकारी समितियाँ

+2598.श्री मनोज तिवारी:

डॉ. निशिकान् त दुबे:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्री रमेश अवस्थी:

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

श्री सुनील कुमार:

श्री नव चरण माझी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना के अंतर्गत मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में अब तक हुई प्रगति तथा, नई बनी मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या के साथ-साथ आधुनिक बनाई गई मौजूदा समितियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) नई मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के साथ उनके एकीकरण की कर्नाटक व महाराष्ट्र के पालघर जिले और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले सहित राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) मत्स्य सहकारी समितियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों, शीतागार श्रृंखला, प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' जैसी योजनाओं के साथ प्रभावी समन्वय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समन्वय के माध्यम से अब तक प्राप्त उपलब्धियों और परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ) प्रत्येक अनाच्छादित पंचायत/गाँव में पाँच वर्षों की अवधि में सहकारी कवरेज प्राप्त करने हेतु नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के साथ प्रभावी अभिसरण स्थापित किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराई गई मत्स्य सहकारी समितियों संबंधी जानकारी अनाच्छादित क्षेत्रों की पहचान, प्रगति की निगरानी एवं योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अनुरक्षित की जा रही है। 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 15.02.2023 को अनुमोदित राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देश भर में कुल 2,356 नई मत्स्य सहकारी समितियाँ (एफसीएस) पंजीकृत की गई हैं, जबकि 1,700 मौजूदा एफसीएस को सुदृढ़ किया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र के पालघर जिले एवं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले सहित राज्यवार नई मत्स्य सहकारी समितियों के गठन की वर्तमान स्थिति **संलग्नक -क** में दी गई है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का उपयोग अनाच्छादित क्षेत्रों की पहचान एवं सहकारी समितियों संबंधी अद्यतन जानकारी अनुरक्षित करने के लिए किया जाता है। बिहार ने अपने सहकारी डेटाबेस का एनसीडी के साथ दोतरफा एकीकरण पूर्ण कर लिया है, जबकि कर्नाटक एवं महाराष्ट्र संबंधी डेटा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, मत्स्य विभाग, एनएफडीबी को नोडल एजेंसी के रूप में एवं सहकारिता मंत्रालय के साथ अभिसरण में, "सहकार से समृद्धि" के विजन के अंतर्गत देश भर में 6,000 नई बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियाँ (एफसीएस) बनाने एवं 5,500 मौजूदा एफसीएस को सुदृढ़ करने हेतु 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) का क्रियान्वयन कर रहा है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत पात्र मत्स्य सहकारी समितियों, एफएफपीओ एवं अन्य पात्र संस्थाओं को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज/ट्रॉलर, कोल्ड चेन अवसंरचना, मछली प्रसंस्करण इकाइयाँ, हैचरी, एकीकृत एका पार्क, एकीकृत मछली पालन परियोजनाएँ एवं अन्य मत्स्य अवसंरचना की स्थापना हेतु योजना दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अब तक असम, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में इन घटकों के अंतर्गत मत्स्य सहकारी समितियों/एफएफपीओ की छह परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं, जिनमें कुल अनुमोदित परियोजना लागत

1,643.54 लाख रुपये एवं पात्र सब्सिडी 410.87 लाख रुपये है। इनमें से निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को 135.99 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। महाराष्ट्र में एकीकृत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज, कोल्ड चेन विकास एवं मीठे पानी की फिनफिश हैचरी संबंधी परियोजनाओं सहित कुल अनुमोदित परियोजना लागत 888.78 लाख रुपये एवं पात्र सब्सिडी 222.19 लाख रुपये वाली तीन परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। अभी तक महाराष्ट्र के पालघर जिले में इन घटकों के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, मत्स्य सहकारी समितियों को अंतर विश्लेषण, व्यावसायिक विकास योजनाओं (बीडीपी) की तैयारी, मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण एवं आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है। सहायता के अंतर्गत पीएम-एमकेएसएसवाई के अंतर्गत सहायता दी जा रही है, जबकि पात्र समितियाँ मत्स्य अवसंरचना जैसे हैचरी, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज, कोल्ड चेन सुविधाएँ, मछली प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाइयाँ तथा अन्य फसल-उपरांत अवसंरचना हेतु पीएमएमएसवाई के अंतर्गत भी सहायता प्राप्त कर रही हैं। इस अभिसरण ने संस्थागत क्षमता में वृद्धि की है, आधुनिक मत्स्य अवसंरचना तक पहुँच में सुधार किया है, मत्स्य सहकारी समितियों की व्यावसायिक व्यवहार्यता को सुदृढ़ किया है तथा मछुआरा समुदायों के लिए बेहतर आय एवं आजीविका के अवसरों में योगदान दिया है।

मत्स्य विभाग ने 1,000 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) में परिवर्तित करने का कार्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को आवंटित किया है। इस पहल का अनुमोदित परिव्यय ₹280.65 करोड़ है। 31 मई, 2026 तक, एनसीडीसी ने बाजार संपर्क एवं प्रसंस्करण सुविधाओं को सुगम बनाने हेतु एफएफपीओ एवं क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को ₹130 करोड़ वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी मत्स्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से दीर्घकालिक एवं कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, एनसीडीसी ने मत्स्य सहकारी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से ₹319.03 करोड़ वितरित किए।

इसके अतिरिक्त, मत्स्य सहकारी समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) एवं राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के बैंक मित्र के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाया जा रहा है। उन्हें "डोरस्टेप फाइनेंशियल सर्विसेज" प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम (नाबार्ड द्वारा समर्थित) उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं वित्तीय समावेशन में वृद्धि हो रही है।

ये उपाय संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने, अवसंरचना तक पहुँच में सुधार करने, प्रसंस्करण एवं विपणन को सुगम बनाने तथा मछुआरों एवं मत्स्य सहकारिताओं के लिए बाजार संपर्कों को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर, कोल्ड-चेन, प्रसंस्करण इकाइयों एवं अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु मत्स्य सहकारी समितियों को प्रदान की गई वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का राज्यवार विवरण, जिसमें महाराष्ट्र का पालघर जिला भी शामिल है, तथा इस अभिसरण के माध्यम से अब तक प्राप्त उपलब्धियों एवं परिणामों का विवरण **संलग्नक -ख** के रूप में संलग्न है।

क्रम सं	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	नई मात्स्यिकी सहकारी समिति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11
2	आंध्र प्रदेश	2
3	अरुणाचल प्रदेश	29
4	असम	89
5	बिहार*	2
6	छत्तीसगढ़	336
7	गोवा	4
8	गुजरात	26
9	हरियाणा	6
10	हिमाचल प्रदेश	12
11	जम्मू और कश्मीर	40
12	झारखंड	227
13	कर्नाटक	52
14	लद्दाख	1
15	लक्षद्वीप	29
16	मध्य प्रदेश	255
17	महाराष्ट्र**	167
18	मणिपुर	71
19	मेघालय	19
20	मिजोरम	2
21	नागालैंड	19
22	ओडिशा	61
23	पुदुचेरी	3
24	पंजाब	52
25	राजस्थान	31
26	सिक्किम	4
27	तमिलनाडु	36
28	तेलंगाना	102
29	दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव और	1
30	त्रिपुरा	26
31	उत्तर प्रदेश	514
32	उत्तराखंड	124
33	पश्चिम बंगाल	3
34	केरल	0
35	चंडीगढ़	0
36	दिल्ली	0
कुल		2,356

* बिहार के पश्चिम चंपारण में नई मात्स्यिकी सहकारी समिति का पंजीकरण नहीं किया गया है ।

**पालघर, महाराष्ट्र में 1 नई मात्स्यिकी सहकारी समिति पंजीकृत की गई है ।

मत्स्य सहकारी समितियों/एफएफपीओ के लिए स्वीकृत राज्य-वार परियोजनाएँ

क्र.सं.	समिति/एफएफपीओ का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत (लाख रुपये में)	पात्र सब्सिडी (लाख रुपये में)
1	श्री अंकुर मीन पालन समबाई समिति लिमिटेड, श्री हरन चंद्र बोरा	असम	सतत मत्स्य पालन एवं संसाधन संरक्षण के लिए एकीकृत एक्का पार्क परियोजना	251.02	62.75
2	PVRAQUA	उत्तर प्रदेश	पालन, मनोरंजनात्मक एवं जीवित मछली विक्रय	418.48	104.62
3	संजीवनी मत्स्य विकास सहकारी सोसाइटी लिमिटेड	महाराष्ट्र	नई मीठे पानी की फिनफिश हैचरी एवं संबंधित घटक की स्थापना	100.78	25.19
4	ओम साई सागर मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रत्नागिरी महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	एकीकृत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाला जहाज एवं कोल्ड चेन विकास	290	72.5
5	जूआरी फिशरमेन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (गोवा राज्य)	महाराष्ट्र	एकीकृत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाला जहाज एवं कोल्ड चेन विकास	498	124.5
6	श्री अभिनव एफएफपीओ	उत्तर प्रदेश	एकीकृत अंतर्देशीय मत्स्य पालन परियोजना	85.26	21.31